



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 446/2022

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. धर्म सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. सर्वजीत कौर पुत्री श्री किशन सिंह पत्नी श्री चानण सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह पत्नी श्री शिवराज सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. राजविन्द्र कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह पत्नी श्री मनजीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुरेन्द्र कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मनजिन्द्र कौर पुत्री धर्म सिंह पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. वीरपाल कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री जगदीप सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. अमनदीप कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री सुखचैन सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. रमनदीप कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री जसप्रीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

लगातार --2



10. जगमोहन सिंह पुत्र श्री दलजिन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री दलजिन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. गुरलाल सिंह पुत्र स्व. श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. जगजीत सिंह पुत्र स्व. श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. जसमेल कौर पत्नी श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. चरणजीत कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. गुरमेज कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. सर्वजीत कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. गुरजीत कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादीगण बलदेव सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण सर्वजीत कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 जो एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 8.589 है. कृषि भूमि, चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 11.385 है. कृषि भूमि तथा चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी

लगातार --3



सं. 9 ता 12 व मृतक काला व किशन सिंह के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में दर्ज उक्त कृषि भूमि में वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 8, 14 ता 18 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 13 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिनका अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 ता 13 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी सं. 1 व 2 क्रमशः बलदेव सिंह एवं धर्म सिंह पुत्रगण श्री किशन सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/145	17	11,12/0.253 है.प्र., 16/1/0.241 है., 16/2/0.012 है., 17ता19,22ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.241 है., 25/2/0.012 है.
209/146	19	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है. कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 3 ता 5 क्रमशः कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) एवं गुरसेवक सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह(1/2 हिस्सा) जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
-------	--------	--------



191/144 66

6,15/0.253 है.प्र.

192/144 65

9/0.229 है., 10,11/0.253 है.प्र.,

12,19/0.230 है.प्र., 20/0.253 है.,

22/1/0.089 है., 22/2/0.038 है.

कुल 2.081 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 9 राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरुचरण सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

192/144 65

3,8,13/0.040 है.प्र., 18/0.036 है.,

4,7,14/0.253 है.प्र., 17/1/0.025 है.,

17/2/0.101 है.

कुल 1.041 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

209/145 17

2ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.240 है.,

5/2/0.013 है., 6/1/0.060 है., 6/2/0.003 है.,

7ता9/0.063 है.प्र.,

कुल 1.264 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

210/144 35

21/0.253 है. कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 10 व 11 क्रमशः जगमोहन सिंह व रविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री दलजिन्द्र सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

192/144 65

2/0.179 है., 3,8,13/0.200 है.प्र., 18/0.191 है.

9/0.024 है., 12,19/0.023 है.प्र.

कुल 1.040 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

209/145 17

6/1/0.180 है., 6/2/0.010 है.,

7,8,9/0.190 है.प्र., 13,14/0.253 है.प्र.,



- 5 -

15/1/0.240 है., 15/2/0.013 है.

कुल 1.519 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 12 व 13 क्रमशः गुरलाल सिंह व जगजीत सिंह पुत्रगण श्री बंता सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/144	65	3,8,13,18/0.013 है.प्र.
192/143	56	23/0.013 है.

कुल 0.065 है. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 12 गुरलाल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/143	9	22,23/0.253 है.प्र.
209/144	10	2ता9/0.253 है.प्र.

कुल 2.530 है. कृषि भूमि

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
210/144	35	11,20/0.253 है.प्र.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/144	66	3,4,5/0.253 है.प्र.
191/143	55	23/0.253 है.
192/144	65	1/0.253 है., 2/0.074 है.
192/143	56	18,19,20/0.032 है.प्र., 21,22/0.253 है.प्र.,

23/0.240 है.

कुल 2.181 है. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 13 जगजीत सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/143	55	16,17,24,25/0.253 है.प्र.



192/143 56

12,13/0.253 है.प्र., 18,19,20/0.221 है.प्र.

कुल 2.181 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं.

मु.नं.

कि.नं.

209/144 10

12ता19,22ता25/0.253 है.प्र.

कुल 3.036 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा खाता अलग कायम करवा जाति सुथार के स्थान पर जाति तरखान करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 18 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 18 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8, 14 ता 18 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 9 ता 13 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये गये जो शामिल मिसल किये गये तथा प्रतिवादी सं. 19 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीगण के द्वारा तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74, चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 एवं चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 4 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8, 14 ता 18 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी सं. 9 ता 13 द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये गये तथा प्रतिवादी



सं. 19 का जवाब स्टेट पेश हुआ। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 18 ने सहमति के जवाब दावे एवं काउन्टर क्लेम अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 के संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 8.589 है। कृषि भूमि, चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 11.385 है। कृषि भूमि तथा चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 9 ता 12 व मृतक काला व किशन सिंह के नाम से 0.759 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 एवं चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 18 द्वारा सहमति के जवाब दावे एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 18 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे एवं काउन्टर क्लेम अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादीगण मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 18 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे एवं काउन्टर क्लेम अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) वादी सं. 1 व 2 क्रमशः बलदेव सिंह एवं धर्म सिंह पुत्रगण श्री किशन सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

209/145 17 11,12/0.253 है.प्र., 16/1/0.241 है.,



-8-

16/2/0.012 है., 17ता19,22ता24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.241 है., 25/2/0.012 है.

209/146 19

3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.

कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 3 ता 5 क्रमशः कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) एवं गुरसेवक सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह(1/2 हिस्सा) जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/144	66	6,15/0.253 है.प्र.
192/144	65	9/0.229 है., 10,11/0.253 है.प्र., 12,19/0.230 है.प्र., 20/0.253 है., 22/1/0.089 है., 22/2/0.038 है.

कुल 2.081 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 9 राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/144	65	3,8,13/0.040 है.प्र., 18/0.036 है., 4,7,14/0.253 है.प्र., 17/1/0.025 है., 17/2/0.101 है.

कुल 1.041 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/145	17	2ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.240 है., 5/2/0.013 है., 6/1/0.060 है., 6/2/0.003 है., 7ता9/0.063 है.प्र.,

कुल 1.264 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
210/144	35	21/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 10 व 11 क्रमशः जगमोहन सिंह व रविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री दलजिन्द्र सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-



चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/144	65	2/0.179 है., 3,8,13/0.200 है.प्र., 18/0.191 है. 9/0.024 है., 12,19/0.023 है.प्र. कुल 1.040 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/145	17	6/1/0.180 है., 6/2/0.010 है., 7,8,9/0.190 है.प्र., 13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.240 है., 15/2/0.013 है. कुल 1.519 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 12 व 13 क्रमशः गुरलाल सिंह व जगजीत सिंह पुत्रगण श्री बंता सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/144	65	3,8,13,18/0.013 है.प्र.
192/143	56	23/0.013 है. कुल 0.065 है. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 12 गुरलाल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/143	9	22,23/0.253 है.प्र.
209/144	10	2ता9/0.253 है.प्र. कुल 2.530 है. कृषि भूमि

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
210/144	35	11,20/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74



प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/144	66	3,4,5/0.253 है.प्र.
191/143	55	23/0.253 है.
192/144	65	1/0.253 है., 2/0.074 है.
192/143	56	18,19,20/0.032 है.प्र., 21,22/0.253 है.प्र., 23/0.240 है.

कुल 2.181 है. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 13 जगजीत सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-
चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/143	55	16,17,24,25/0.253 है.प्र.
192/143	56	12,13/0.253 है.प्र., 18,19,20/0.221 है.प्र.

कुल 2.181 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/144	10	12ता19,22ता25/0.253 है.प्र.

कुल 3.036 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 8.589 है. कृषि भूमि में 2.081 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 3 व 4 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के ब.हि.ब. तथा वादी सं. 5 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 9 को 1.041 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 1.040 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 12 व 13 को 4.427 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक बंता सिंह व किशन सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 11.385 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 व 2 को 3.036 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 9 को 1.264 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 1.519 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 12 को 2.530 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 13 को 3.036 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक बंता सिंह व किशन सिंह का नाम कलमजन किया जावे,



- 11 -

इसी प्रकार चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 9 ता 12 व मृतक काला व किशन सिंह के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 9 को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 12 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर काला व किशन सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा जाति सुथार के स्थान पर जाति तखान अंकित की जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया



डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 446/2022

1. बलदेव सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. धर्म सिंह पुत्र श्री किशन सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादीगण

बनाम्

1. सर्वजीत कौर पुत्री श्री किशन सिंह पत्नी श्री चानण सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुखविन्द्र कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह पत्नी श्री शिवराज सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. राजविन्द्र कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह पत्नी श्री मनजीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुरेन्द्र कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मनजिन्द्र कौर पुत्री धर्म सिंह पत्नी श्री गुरप्रीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. वीरपाल कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री जगदीप सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. अमनदीप कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री सुखचैन सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. रमनदीप कौर पुत्री श्री धर्म सिंह पत्नी श्री जसप्रीत सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



-2-

0. जगमोहन सिंह पुत्र श्री दलजिन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 1. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री दलजिन्द्र सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 2. गुरलाल सिंह पुत्र स्व. श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 3. जगजीत सिंह पुत्र स्व. श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 4. जसमेल कौर पत्नी श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 5. चरणजीत कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 6. गुरमेज कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 7. सर्वजीत कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 8. गुरजीत कौर पुत्री श्री बन्ता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 1 9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 28.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 18 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी सं. 1 व 2 क्रमशः बलदेव सिंह एवं धर्म सिंह पुत्रगण श्री किशन सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/145	17	11,12/0.253 है.प्र., 16/1/0.241 है., 16/2/0.012 है., 17ता19,22ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.241 है., 25/2/0.012 है.
209/146	19	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

लगातार --3



-3-

4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.

कुल 3.036 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 3 ता 5 क्रमशः कुलदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह, सुखदीप सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) एवं गुरसेवक सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह(1/2 हिस्सा) जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/144	66	6,15/0.253 है.प्र.
192/144	65	9/0.229 है., 10,11/0.253 है.प्र., 12,19/0.230 है.प्र., 20/0.253 है., 22/1/0.089 है., 22/2/0.038 है.

कुल 2.081 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 9 राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/144	65	3,8,13/0.040 है.प्र., 18/0.036 है., 4,7,14/0.253 है.प्र., 17/1/0.025 है., 17/2/0.101 है.

कुल 1.041 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/145	17	2ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.240 है., 5/2/0.013 है., 6/1/0.060 है., 6/2/0.003 है., 7ता9/0.063 है.प्र.,

कुल 1.264 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
210/144	35	21/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 10 व 11 क्रमशः जगमोहन सिंह व रविन्द्र सिंह पुत्रगण श्री दलजिन्द्र सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

लगातार --4



-4-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/144	65	2/0.179 है., 3,8,13/0.200 है.प्र., 18/0.191 है. 9/0.024 है., 12,19/0.023 है.प्र. कुल 1.040 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/145	17	6/1/0.180 है., 6/2/0.010 है., 7,8,9/0.190 है.प्र., 13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.240 है., 15/2/0.013 है. कुल 1.519 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 12 व 13 क्रमशः गुरलाल सिंह व जगजीत सिंह पुत्रगण श्री बंता सिंह समस्त जाति तरखान निवासीगण ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
192/144	65	3,8,13,18/0.013 है.प्र.
192/143	56	23/0.013 है. कुल 0.065 है. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 12 गुरलाल सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/143	9	22,23/0.253 है.प्र.
209/144	10	2ता9/0.253 है.प्र. कुल 2.530 है. कृषि भूमि

चक 2 बी.जी.पी. खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
210/144	35	11,20/0.253 है.प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/144	66	3,4,5/0.253 है.प्र.
191/143	55	23/0.253 है.



-5-

192/144 65 1/0.253 है., 2/0.074 है.
192/143 56 18,19,20/0.032 है.प्र., 21,22/0.253 है.प्र.,
23/0.240 है.

कुल 2.181 है. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 13 जगजीत सिंह पुत्र श्री बंता सिंह जाति तरखान निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 9 बी.जी.पी. ए खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
191/143	55	16,17,24,25/0.253 है.प्र.
192/143	56	12,13/0.253 है.प्र., 18,19,20/0.221 है.प्र.

कुल 2.181 है. कृषि भूमि

चक 5 बी.जी.पी. खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
209/144	10	12ता19,22ता25/0.253 है.प्र.

कुल 3.036 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 9 बी.जी.पी. ए के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 8.589 है. कृषि भूमि में 2.081 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 3 व 4 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि के ब.हि.ब. तथा वादी सं. 5 को 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 9 को 1.041 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 1.040 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 12 व 13 को 4.427 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक बंता सिंह व किशन सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 5 बी.जी.पी. के खाता सं. 22/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 9 ता 13 व मृतक बंता सिंह व किशन सिंह के नाम से 11.385 है. कृषि भूमि में से वादी सं. 1 व 2 को 3.036 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 9 को 1.264 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 1.519 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 12 को 2.530 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 13 को 3.036 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक बंता सिंह व किशन सिंह का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 2 बी.जी.पी. के खाता सं. 15/15 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में प्रतिवादी सं. 9 ता 12 व मृतक काला व किशन सिंह के नाम से 0.759 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 9 को 0.253 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 12 को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर काला व किशन सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा जाति सुथार के स्थान पर जाति तरखान अंकित की जावे।



-6-

नोट :- यदि डिक्लीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।

निजx..... निलx..... मुब्लिकx.....निलx..... बाबत्x....
निल.....x... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयाबी तकx.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 28.02.
2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया